सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 2017/114 दायर दिनांक 05.05.2017

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. चेनसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, उम्र–60साल,<br>2. राजेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, उम्र–57साल,<br>3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, उम्र–50साल,<br>4. नरेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, उम्र–44साल,<br>5. विरेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, उम्र–40साल,<br>समस्त,जाति–राजपूत,<br>निवासी–खुड़ी,<br>तहसील–डीडवाना,<br>जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. गिरधारीसिंह पुत्र रामसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–खुड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.**

**उपस्थित–**

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 05.06.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारीसिंह है जिनकी पैतृक सम्पत्ति की भूमि सरहद खुड़ी में खेत खसरा नम्बर 204 रकबा 148.12 बीघा है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारीसिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खतौनी की प्रमाणित नकल पेश है।

वादीगण नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01 की सेवा–चाकरी व भरण पोषण किया जाता है। वादीगण के बाहर रहने के कारण से प्रतिवादीगण संख्या 01 गलत शिक्षा में आकर वादीगण की पैतृक सम्पत्ति की भूमि को बैचाण करने की तैयारी कर ली, तब परिवार के व समाज के मौजिज व्यक्तियों ने समझाईश कर पैतृक सम्पत्ति का विक्रय न करने के लिए येन–केन प्रकारेन प्रतिवादीगण संख्या 01 को मनाया। सन् 2000 में वादित भूमि का प्रतिवादी गिरधारीसिंह स्वयं ने अपने पुत्रों को बराबर–बराबर पाँच हिस्सा कर कब्जा सम्भला दिया, जिसको नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शाया गया है जो दावा का अहम् हिस्सा है।

गिरधारीसिंह से मिली भूमि में वादीगण चेनसिंह, राजेन्द्रसिंह व नरेन्द्रसिंह ने अपने हिस्से में ट्यूबवेल बना ली है व पाँचों भाईयों के मकानात् भी बने हुए हैं। खसरा नम्बर 204 रकबा 148.12 बीघा में हिस्सा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/114
दायर दिनांक 05.05.2017, निर्णय दिनांक 05.06.2017
चेनसिंह, वगैरा बनाम् गिरधारीसिंह, वगैरा।

1/5 भाग यानि 29.14 बीघा दक्षिणी वादी चेनसिंह व इससे आगे वादी राजेन्द्रसिंह के रकबा 29.14 बीघा, व उसके बाद वादी विरेन्द्रसिंह के बन्ट व हिस्से की भूमि 29.14 बीघा, वादी नरेन्द्रसिंह के 29.14 बीघा एवं वादी सुरेन्द्रसिंह के अन्तिम हिस्सा यानि 1/5 भाग रकबा 29.14 बीघा कब्जे काश्त में है। वादित भूमि में सन् 2000 से आज तक वादीगण का कब्जा नजरीनक्शा अनुसार है मगर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी नहीं होने से कोई सरकारी सहायता व लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है। प्रतिवादी गिरधारीसिंह के पास वादित भूमि के अलावा और भी है जो उनके पास रहेगी। इसलिए वादीगण को घोषणा खातेदारी व बन्टवारा का दावा करना लाजमी आया है।

सम्वत् हाल में वादीगण जब अपने खेत में दिनांक 30.04.2017 को खाद डालने गये तब प्रतिवादी आमादा–फिसाद हुआ एवं वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि इस वर्ष वर्षा होने पर काश्त नहीं करने दुंगा। यदि वादीगण को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी इसलिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करना लाजमी आया है।

बिनाया दावा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा 2000 में वादित भूमि का बन्टवारा करने एवं दिनांक 30.04.2017 को वादित भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ व हो रहा है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

सरहद खुड़ी में खेत खसरा नम्बर 204 रकबा 148.12 बीघा का वादीगण को हिस्सा 1/5 – 1/5 भाग खातेदार घोषित किया जाकर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार वादीगण का बन्टवारा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खातेदारी घोषित की जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 02 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के समर्थन में वादीगण का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 तक प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश की सत्य प्रतिलिपि वाद के साथ पेश हुई।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 अपने मध्य हुए राजीनामा के पेश किया। राजीनामा की इबारत् पढकर पक्षकारान् को सुनाई व समझाई गयी जिसे सही होना पक्षकारान् ने स्वीकार किया। पक्षकारान् की पहचान अधिवक्ता श्री अजीतसिंह राठौड़ ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया। उक्त राजीनामा के मुताबिक– सरहद खुड़ी में खेत खसरा नम्बर 204 रकबा 148.12 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार प्रत्येक के रकबा 29.14 बीघा का वादीगण चेनसिंह, राजेन्द्रसिंह, विरेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह व सुरेन्द्रसिंह को खातेदार घोषित किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 अपने मध्य हुए उपर्युक्त राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे है।

सहायक कलक्टर
पीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017 / 114
दायर दिनांक 05.05.2017, निर्णय दिनांक 05.06.2017
चेनसिंह, वगैरा बनाम् गिरधारीसिंह, वगैरा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उक्त भूमि पैत्क है व प्रतिवादी गिरधारीसिंह उक्त भूमि का एकल खातेदार है। वादीगण, प्रतिवादी गिरधारीसिंह के पुत्र व वारिसान् है। गिरधारीसिंह वादित भूमि में अकेला खातेदार होने से अपने पुत्रगण के खातेदारी दर्ज करवाने का हक रखता है। उक्त वादित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य राजीनामा हो जाने से उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवचेन, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

## आदेश

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद खुड़ी में खेत खसरा नम्बर 204 रकबा 148.12 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स बाउण्ड्स से किया जाकर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार भूमि– रकबा 29.14 बीघा का वादी चेनसिंह को व रकबा 29.14 बीघा का वादी राजेन्द्रसिंह को व रकबा 29.15 बीघा का वादी विरेन्द्रसिंह को व रकबा 29.15 बीघा का वादी नरेन्द्रसिंह को तथा रकबा 29.14 बीघा का वादी सुरेन्द्रसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो।

राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "ब" व दावा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरवालिया

निर्णय आज दिनांक 05.06.2017 को कोर्ट कैम्प–खरवालिया में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरवालिया

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/114 दायर दिनांक 05.05.2017

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. चेनसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, उम्र–60साल,<br>2. राजेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, उम्र–57साल,<br>3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, उम्र–50साल,<br>4. नरेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, उम्र–44साल,<br>5. विरेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, उम्र–40साल,<br>समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–खुड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. गिरधारीसिंह पुत्र रामसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–खुड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। |

दावा बाबत्
**घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.**

दिनांक 05.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर सरहद खुड़ी में खेत खसरा नम्बर 204 रकबा 148.12 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स बाउण्ड्स से किया जाकर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार भूमि– रकबा 29.14 बीघा का वादी चेनसिंह को व रकबा 29.14 बीघा का वादी राजेन्द्रसिंह को व रकबा 29.15 बीघा का वादी विरेन्द्रसिंह को व रकबा 29.15 बीघा का वादी नरेन्द्रसिंह को तथा रकबा 29.14 बीघा का वादी सुरेन्द्रसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो।

राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "ब" व दावा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसमत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
कोर्ट कैम्प खाटोलिया

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | –<br>– | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
कोर्ट कैम्प खाटोलिया

Scanned by CamScanner